26 मार्च

2006

आपके व्यापार या संगठन को नए धूम्रपान कानून के लिए तैयार करने में सहायता के लिए।

नियोक्ताओं, प्रबंधकों और भवनों पर नियंत्रण रखने वालों के लिए मार्गदर्शिका।

नए धूम्रपान कानून के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य

- धूम्रपान, स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल (स्कॉटलैंड) अधिनियम 2005 और कुछ निश्चित परिसरों में धूम्रपान निषेध (स्कॉटलैंड) विनियम 2006, 26 मार्च 2006 को सुबह 6 बजे से प्रभावी होंगे। नया कानून परोक्ष धूम्रपान[1]से लोगों के जीवन की रक्षा और बीमारियों की रोकथाम के लिए लागू किया जा रहा है।

- 26 मार्च 2006 को सुबह 6 बजे से, आपके कर्मचारियों, ग्राहकों और आगन्तुकों को आपके पूर्ण रूप से, या व्यापक रूप से आच्छादित[2] व्यापार या संगठनों के परिसरों में, धूम्रपान की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अंतर्गत पहले से निर्दिष्ट 'धूम्रपान कक्ष' भी शामिल हैं।

- धूम्रपान प्रतिबंध के दायरे से बहुत कम भवनों को बाहर रखा गया है। नया कानून, कार्य–स्थलों और कार्य–वाहनों सहित अधिकतर सार्वजनिक परिसरों पर लागू होगा।

- इस कानून का पालन न करना अपराध माना जाएगा। धूम्रपान–निषिद्ध भवनों में धूम्रपान करने वालों को 50 पाउंड का जुर्माना भरना होगा। किसी भी धूम्रपान निषिद्ध भवन के प्रबंधक अथवा नियंत्रक को निम्नांकित स्थितियों के लिए 200 पाउंड का नियत जुर्माना किया जा सकता है:

  – धूम्रपान निषेध वाले परिसरों में अन्य व्यक्तियों को धूम्रपान की अनुमति देना

  – धूम्रपान निषेध वाले परिसरों में धूम्रपान न करने की चेतावनी प्रदर्शित करने में विफलता

  जुर्माना अदा न किए जाने अथवा अदा करने में विफल रहने पर मुकदमा चलाया जा सकता है और 2,500[3] पाउंड का जुर्माना किया जा सकता है।

- आपके व्यापार या संगठन को यह सुनिश्चित करने के उपाय करने होंगे कि कर्मचारियों, ग्राहकों, सदस्यों और आगन्तुकों – नये कानून का पालन करें।

- स्थानीय परिषद् के प्राधिकृत अधिकारी कानून को लागू करेंगे और व्यापार सहायता उपलब्ध कराएँगे।

अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं, तो
www.clearingtheairscotland.com वेबसाइट को देखें अथवा स्कॉटलैंड के अधिकारियों की तम्बाकू नियंत्रण टीम से संपर्क करें जिनका ब्यौरा पिछले कवर पर दिया गया है। आप अपनी स्थानीय काउंसिल में प्राधिकृत प्रवर्तन अधिकारी से भी संपर्क कर सकते हैं (जिसका ब्यौरा आपकी स्थानीय टेलीफोन डायरेक्टरी में दिया गया है)।

---

[1] परोक्ष धूम्रपान का अर्थ है अन्य व्यक्ति द्वारा छोड़े गये तम्बाकू के धुएँ में साँस लेना। अन्य व्यक्ति के तम्बाकू के धुएँ को सेकेन्ड–हैंड धूम्रपान अथवा पर्यावरणीय तम्बाकू धूम्रपान (ईटीएस) भी कहा जाता है।

[2] कार्य स्थल सहित ऐसा सार्वजनिक स्थल, जिसकी परिधि में 50 प्रतिशत से अधिक भाग छत और दीवारों से आच्छादित हो।

[3] नियत जुर्माना नोटिस का रास्ता अपनाने की बजाय मुकदमा चलाया जा सकता है, अथवा ऐसे मामलों में भी अदालती कार्रवाई की जा सकती है, जहाँ नियत जुर्माना नोटिस जारी की गयी हो और दंडित व्यक्ति जुर्माना अदा करने में विफल रहा हो।

विषय–सूची

भूमिका	4
हम नया कानून क्यों लागू कर रहे हैं	4
नए कानून के प्रभाव क्षेत्र में आने वाले स्थान	5
नए कानून के प्रभाव क्षेत्र में न आने वाले स्थान	5
नए कानून का अनुपालन कैसे करें	6
भवनों के लिए धूम्रपान निषेध चिह्न–पट	6
वाहनों के लिए धूम्रपान निषेध चिह्न–पट	7
ऐसे क्षेत्र जहाँ कर्मचारी या ग्राहक धूम्रपान कर सकते हैं	7
किसी व्यक्ति द्वारा धूम्रपान निषेध की अनदेखी करने की स्थिति में क्या करें	8
नया धूम्रपान कानून लागू करना	9
धूम्रपान मुक्त नीति	9
परिशिष्ट 'क'	11
परिशिष्ट 'ख'	13
परिशिष्ट 'ग'	14

भूमिका

26 मार्च 2006 को, स्कॉटलैंड में धूम्रपान कानून बदल जाएगा। उस दिन के बाद स्कॉटलैंड में पूरी तरह अथवा व्यापक रूप में आच्छादित सार्वजनिक स्थलों, जैसे कार्य–स्थलों में धूम्रपान करने की अनुमति नहीं होगी। इस पुस्तिका में नए कानून के बारे में नियोक्ताओं, प्रबंधकों और कार्य–स्थलों एवं सार्वजनिक स्थलों को नियंत्रण करने वाले अन्य लोगों को सूचना एवं परामर्श उपलब्ध कराया गया है, ऐसे स्थलों में लाइसेंस प्राप्त परिसर जैसे बार, होटल, सभी प्रकार के क्लब, कैफे और रेस्तराँ शामिल हैं।

इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि 'धूम्रपान निषेध' की श्रेणी में आने वाला प्रत्येक व्यापारिक और सार्वजनिक स्थल 26 मार्च 2006 को सुबह 6 बजे नये कानून का अनुपालन करने के लिए तैयार हो।

इस पुस्तिका को व्यापारियों के परामर्श से तैयार किया गया है। परन्तु ध्यान रहे कि यह केवल मार्गदर्शन के लिए है। अगर आपको अपने कानूनी दायित्वों के बारे में कोई संदेह हो तो आपको सलाह दी जाती है कि आप स्वतंत्र रूप से कानूनी परामर्श प्राप्त करें।

हम नया कानून क्यों लागू कर रहे हैं

स्कॉटलैंड की संसद ने यह नया कानून परोक्ष धूम्रपान के हानिकारक प्रभावों से देश के लोगों की रक्षा करने के लिए पारित किया है।

तम्बाकू और स्वास्थ्य–संबंधी वैज्ञानिक समिति ने सन् 2004 में परोक्ष धूम्रपान के साक्ष्यों की समीक्षा की थी। समिति ने परोक्ष धूम्रपान को जन–स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा पाया, जिससे वयस्कों में फेफड़े के कैंसर, हृदय रोग और साँस की बीमारियों का जोखिम बढ़ रहा है, और बच्चों पर कई तरह के दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं।

अनेक लोगों का यह मानना है कि उचित वातायन (वेंटिलेशन) से परोक्ष धूम्रपान से संबद्ध स्वास्थ्य–संबंधी खतरे समाप्त किए जा सकते हैं। परन्तु पुख्ता साक्ष्यों से पता चलता है कि वायु निकासी प्रणाली से केवल धुएँ की दुर्गंध और दृश्यता समाप्त होती है, न कि उसके विषाक्त कारसिनोजन तत्व। परोक्ष धुएँ के संपर्क में आने पर बचाव का कोई सुरक्षित स्तर निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसलिए वायु निकासी इसका कोई विकल्प नहीं है।

नए कानून के प्रभाव क्षेत्र में आने वाले स्थान

इस कानून में 'पूर्ण या व्यापक रूप से आच्छादित' कुछ निश्चित सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान की मनाही है। पूर्ण या व्यापक रूप से आच्छादित के अंतर्गत ऐसे क्षेत्र आते हैं जो किसी छत या सीलिंग से आच्छादित हों और दरवाजों, खिड़कियों और गलियारों के सिवाय पूरी तरह (स्थायी या अस्थायी रूप से) घिरे हों; अथवा इस तरह घिरे हो कि उनकी दीवारों का आधा से कम क्षेत्र खुला हो। इसका अर्थ यह हुआ कि पहले से निर्दिष्ट 'धूम्रपान कक्षों' में भी धूम्रपान की अनुमति नहीं होगी।

नए कानून का प्रभाव व्यापारिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों पर भी पड़ेगा। इनमें हल्के और भारी मालवाहक वाहन और टैक्सी, बस, रेल और नौकाओं जैसे सार्वजनिक वाहन शामिल हैं। परन्तु, अगर आप कार (स्वयं की या कंपनी की कार) का इस्तेमाल व्यापारिक उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं, तो वह इसके दायरे में नहीं आएगी।

इस कानून के अंतर्गत 'धूम्रपान निषेध' की श्रेणी में आने वाले उन पूर्ण अथवा व्यापक रूप में आच्छादित परिसरों की पूरी सूची परिशिष्ट 'ख' में दी गई है।

नए कानून के प्रभाव क्षेत्र में न आने वाले स्थान

गिने चुने स्थान ही ऐसे हैं जिनको नए कानून से छूट प्राप्त है। इनकी पूरी सूची परिशिष्ट 'ग' में दी गई है।

स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र से संबद्ध ऐसे परिसरों के बारे में और दिशा–निर्देश जारी किए जाएँगे, जिन्हें छूट प्राप्त है। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि धूम्रपान के बारे में ठोस नीतियाँ तय की गई हैं और यह भी कि धूम्रपान के लिए 'निर्दिष्ट कक्षों' का इस्तेमाल करने की अनुमति केवल मानवतावादी आधार पर होगी – ताकि धूम्रपान न करने वाले व्यक्तियों (रोगियों), आगन्तुकों और कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से परोक्ष धूम्रपान न करना पड़े।

स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में मालिकों और प्रबंधकों को सलाह दी जाती है कि वे कानून में (परिशिष्ट 'क') दी गई 'निर्दिष्ट कक्षों' की परिभाषा पर ध्यानपूर्वक विचार करें ताकि किसी कक्ष को धूम्रपान कक्ष के रूप में निर्दिष्ट करते समय नए कानून का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

ऐसे होटलों, बोर्डिंग हाउसों, सरायों या छात्रावासों आदि – जहाँ मेहमानों के सोने के लिए कम से कम दो विशेष अपार्टमेंट हों, में एक या दो बेडरूमों को धूम्रपान कक्ष के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है – जहाँ ठहरने वाले लोग चाहें तो धूम्रपान कर सकते हैं। परन्तु मालिकों और प्रबंधकों को परिशिष्ट 'क' में दी गई 'निर्दिष्ट होटल शयन कक्ष' की परिभाषा का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए ताकि नए कानून की अपेक्षाएँ पूरी करने की पक्की व्यवस्था की जा सके।

ऐसे परिसरों के मालिक जिनके भवनों को नए कानून के अंतर्गत छूट प्राप्त है, यदि न चाहें तो उन पर धूम्रपान के वास्ते निर्दिष्ट क्षेत्र मुहैया कराने का निश्चित रूप से कोई कानूनी दायित्व नहीं है।

नए कानून का अनुपालन कैसे करें

रविवार, 26 मार्च 2006 को सुबह 6 बजे से स्कॉटलैंड में ऐसे सभी व्यापारिक और अन्य संगठनों, जिन पर कानून लागू होता है, को 'उपयुक्त एहतियाती उपाय' करने होंगे ताकि कर्मचारियों, ग्राहकों और अन्य आगन्तुकों को उनके परिसर में धूम्रपान करने से रोकने की पक्की व्यवस्था की जा सके।

हम आपको सुझाव देते हैं कि कम से कम इन निम्नलिखित उपायों को लागू करें :

- 'धूम्रपान निषेध' की अपेक्षित चेतावनी इस तरह से प्रदर्शित की जानी चाहिए (नीचे देखें) कि ग्राहकों और आगन्तुकों को यह एहसास हो कि उन्हें नए धूम्रपान कानून का अनुपालन अवश्य करना है।
- सभी ऐशट्रे यानी राखदान हटा दिए जाएँ।
- कर्मचारियों के साथ मिलकर एक धूम्रपान मुक्त नीति विकसित एवं लागू करें ताकि कर्मचारियों, ग्राहकों, सदस्यों आदि द्वारा उल्लंघन किए जाने की स्थिति में स्वीकृत प्रक्रिया के तहत उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके (पृष्ठ 13 देंखे)।
- धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को सूचित करें कि वह अपराध कर रहा/रही है।
- उनसे अनुरोध करें कि वे धूम्रपान सामग्री को तत्काल नष्ट कर दें अथवा वहाँ से चले जाएँ ।
- कानून तोड़कर धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों को सेवा प्रदान करने से इंकार करें। (यदि आपका व्यापार ग्राहकों या सदस्यों को सेवा प्रदान करता हो)।

भवनों के लिए धूम्रपान निषेध चिह्न–पट

कानून के मुताबिक आपको प्रतिबंध से प्रभावित किसी भी भवन में अथवा पर 'धूम्रपान निषेध' चिह्न–पट प्रदर्शित करने होंगें, ताकि भवन में काम करने वाले और बाहर से आने वाले लोगों द्वारा उन्हें देखा और पढ़ा जा सके। उन्हें स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए और उन्हें इस तरह सुरक्षित किया जाना चाहिए कि उनसे छेड़छाड़ न हो, उन्हें क्षति न पहुँचे, और उन्हें हटाया या छिपाया न जा सके।

भवनों के लिए अपेक्षित न्यूनतम सूचना चिह्न ऐसी 'धूम्रपान निषेध' नोटिस है, जोः

- 230 मिमी गुना 160 मिमी आकार की हो।
- जिस पर लिखा हो कि संबद्ध परिसर धूम्रपान निषेध परिसर है और वहाँ धूम्रपान करना अथवा जानबूझकर धूम्रपान करने की अनुमति देना एक अपराध है।
- कम से कम 85 मिमी व्यास का अंतर्राष्ट्रीय 'धूम्रपान निषेध' प्रतीक प्रदर्शित किया गया हो।
- उस व्यक्ति का नाम लिखा हो, जिसके पास धूम्रपान करने वाले व्यक्ति की शिकायत दर्ज कराई जा सके।

यह प्रबंधक अथवा नियंत्रक को तय करना है कि सूचना चिह्न कितनी संख्या में अपेक्षित हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिसर में प्रत्येक व्यक्ति को यह जानकारी मिल जाएगी कि धूम्रपान की अनुमति नहीं है। अगर आप यह तय करें कि आपको एक से अधिक 'धूम्रपान निषेध' नोटिस की आवश्यकता है, तो अतिरिक्त नोटिसों पर निम्नांकित जानकारी होनी चाहिएः

- जिस पर लिखा हो कि संबद्ध परिसर धूम्रपान निषेध परिसर है और वहाँ धूम्रपान करना अथवा जानबूझकर धूम्रपान करने की अनुमति देना एक अपराध है।
- कम से कम 85 मिमी व्यास का अंतर्राष्ट्रीय 'धूम्रपान निषेध' प्रतीक प्रदर्शित किया गया हो।

वाहनों के लिए धूम्रपान निषेध चिह्न–पट

कानून के प्रावधानों के अनुसार आपको प्रतिबंध के दायरे में आने वाले सभी वाहनों में 'धूम्रपान निषेध' सूचना चिह्न–पट इस ढंग से प्रदर्शित करने होंगे कि वाहन में बैठे और उसमें प्रवेश करने वाले लोगों की निगाह संबद्ध निर्देश पर पड़े और वे उसे भलीभाँति पढ़ सकें। इन वाहनों में रेलगाड़ियाँ, बसें, टैक्सियाँ, निजी तौर पर किराये पर ली गयी कारें और कोई भी जलयान, नौका अथवा वायुयान शामिल हैं। इन चिह्न पट्टिकाओं के आकार के बारे में कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, परन्तु उन्हें तैयार करते समय कुछ अपेक्षाएँ अवश्य पूरी करनी होती हैं।

नए कानून के अंतर्गत किसी भी संबद्ध वाहन के चिह्न–पट के लिए न्यूनतम अपेक्षा एक ऐसी 'धूम्रपान निषेद्य' नोटिस है; जिसमें

- यह संदेश होना चाहिए कि वाहन में धूम्रपान निषेध है, और उसमें धूम्रपान करना अथवा जानबूझकर धूम्रपान करने की अनुमति देना अपराध है।
- अंतर्राष्ट्रीय 'धूम्रपान निषेध' प्रतीक–चिन्ह प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
- किसी विशेष पदाधिकारी (जैसे प्रबंधक) का उल्लेख करें, जिससे कोई भी व्यक्ति जब किसी को धूम्रपान करते हुए देखे, तो उसकी शिकायत कर सके।

सूचना चिह्नों के नमूनों की प्रतियाँ www.clearingtheairscotland.com से डाउनलोड की जा सकती हैं। निश्चय ही आप अपने तरह के चिह्न–पट तैयार करना चाहेंगे, परन्तु यह सुनिश्चित करें कि वे कानून की अपेक्षाएँ पूरी करते हों।

ऐसे क्षेत्र जहाँ कर्मचारी अथवा ग्राहक धूम्रपान कर सकते हैं

अगर आप अपने कर्मचारियों और ग्राहकों को बाहरी धूम्रपान क्षेत्र प्रदान करना चाहते हैं, तो आपको अपने कर्मचारी से विचार विमर्श करना चाहिए, और फिर कानूनी तथा स्थानीय आयोजना की सलाह लेनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपके प्रस्ताव कानून के अनुरूप हैं। इस तरह के बाहरी धूम्रपान क्षेत्र की आयोजना बनाते समय कृपया 'पूर्ण अथवा व्यापक रूप में आच्छादित क्षेत्र' – की परिभाषा का ध्यान अवश्य रखें। इससे यह तय हो सकेगा कि प्रस्तावित क्षेत्र पर कानून लागू होता है या नहीं। यह परिभाषा परिशिष्ट 'क' में दी गयी है।

जहाँ बाहरी धूम्रपान क्षेत्र न बनाया गया हो, और कर्मचारी तथा/अथवा ग्राहकों को धूम्रपान करने के लिए भवन से बाहर जाने की आवश्यकता हो, तो ऐसे में आपको प्रवेश या निकासी द्वारों पर सिगरेट आदि के टुकड़े डालने के लिए बाहरी कूड़ेदानों की व्यवस्था करनी होगी, धूम्रपान सामग्री के टोटों को न्यूनतम रखा जा सके।

ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायता देने पर भी विचार किया जाना चाहिए, उदाहरण के लिए अगर धूम्रपान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला बाहरी क्षेत्र अलग–थलग अथवा कम रोशनी वाला हो, तो इस बारे में आपके स्थानीय समुदायिक सुरक्षा अधिकारी आपको उचित सलाह दे सकते हैं। इन अधिकारियों के साथ आप अपने स्थानीय पुलिस मुख्यालय के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।

किसी व्यक्ति द्वारा धूम्रपान निषेध की अनदेखी करने की स्थिति में क्या करें

हमें विश्वास है कि धूम्रपान–संबंधी नये कानून का अधिसंख्य लोग सम्मान करेंगे। किन्तु, यह जानना महत्त्वपूर्ण है कि अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान जारी रखे, तो क्या किया जाये:

- ऐसे व्यक्ति का ध्यान 'धूम्रपान निषेध' के चिह्नों की ओर आकर्षित करें, और उन्हें ध्यान दिलायें कि वे अपराध कर रहे हैं। विनम्रतापूर्वक धूम्रपान बंद करने को कहें।

- उस व्यक्ति को सलाह दें कि किसी व्यक्ति को धूम्रपान करने की अनुमति देना आपके (मालिक, प्रबंधक आदि के रूप में) लिए एक अपराध है।

- उन्हें स्पष्ट करें कि व्यापारिक प्रतिष्ठान में 'धूम्रपान निषेध' नीति का पालन किया जा रहा है, ताकि सभी कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए कामकाज का सुरक्षित माहौल कायम किया जा सके।

धूम्रपान करने वाला व्यक्ति यदि कर्मचारी हो:

- अगर आपकी चेतावनी की अनदेखी की जाए, तो उन्हें तत्काल परिसर छोड़कर जाने को कहें (और, जहाँ अपेक्षित हो, उन्हें सूचित करें कि वे कहाँ जाकर धूम्रपान कर सकते हैं)।

- अगर व्यक्ति आपकी चेतावनी मानने से इंकार करे, तो आप कार्य–स्थल पर समाज–विरोधी/गैर–कानूनी व्यवहार के लिए अपनी सामान्य अनुशासनात्मक प्रक्रिया लागू करें।

- इस तरह की सभी घटनाओं और उनके नतीजों का रिकार्ड तैयार करें।

धूम्रपान करने वाला व्यक्ति यदि ग्राहक हो:

- स्पष्ट करें कि अगर आप धूम्रपान जारी रखेंगे, तो कर्मचारियों को बाध्य होकर सेवा देने से इंकार करना होगा।

- इसके बाद भी अगर ग्राहक धूम्रपान जारी रखें, तो उन्हें तत्काल परिसर छोड़कर जाने को कहें (और, जहाँ अपेक्षित हो, उन्हें सूचित करें कि वे कहाँ जाकर धूम्रपान कर सकते हैं)।

- अगर वे आपकी चेतावनी मानने से इंकार करें, तो आप कार्य–स्थल पर समाज–विरोधी/गैर–कानूनी व्यवहार के लिए सामान्य अनुशासनात्मक प्रक्रिया लागू करें।

- इस तरह की सभी घटनाओं और उनके नतीजों का रिकार्ड तैयार करें।

ऐसे सभी मामलों में जहाँ हाथापाई या डराने की धमकी दी गई हो, या ऐसी घटनाएँ हुई हो, तो पुलिस की मदद लें।

नया कानून लागू होने के बाद एक राष्ट्रीय अनुपालन सेवा (National Compliance Line) काम करने लगेगी। यह सेवा स्थानीय दरों पर शुल्क वसूल करेगी और लोगों को आच्छादित सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की सुविधा प्रदान करेगी। कानून के लागू होने से पहले इस सेवा का टेलीफोन नंबर विज्ञापित किया जाएगा, और सभी शिकायतों की जाँच की जाएगी।

नया धूम्रपान कानून लागू करना

यह कानून पर्यावरणीय स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा लागू किया जाएगा, जिन्हें उनके स्थानीय प्राधिकारियों ने यह कार्य करने के लिए अधिकृत किया है। ये अधिकारी पहले से ही खाद्य–सुरक्षा और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जैसे क्षेत्रों से संबद्ध व्यापार के साथ घनिष्ठ संबंध कायम करके कार्य कर रहे हैं। जहाँ कहीं संभव होगा, नए धूम्रपान कानून को लागू करने हेतु व्यापारियों को परामर्श और सहायता उपलब्ध कराने के लिए समान दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

प्राधिकृत प्रवर्तन अधिकारियों को धूम्रपान निषेध परिसरों में प्रवेश करने का अधिकार होगा, ताकि इस बात की जाँच की जा सके कि कानून का पालन किया जा रहा है या नहीं। वे इस बात का भी पता लगायेंगे कि भवनों के मालिकों ने लोगों को धूम्रपान न करने देने के लिए सभी उचित एहतियाती उपाय किए हैं, या नहीं।

प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण प्रो–एक्टिव यानी सकारात्मक (व्यापारियों को परामर्श देना और कानून का अनुपालन सुनिश्चित करना), अथवा री–ऐक्टिव यानी प्रतिक्रिया आधारित (किसी शिकायत पर) होंगे। धूम्रपान निरीक्षणों को अन्य स्वास्थ्य एवं सुरक्षा और खाद्य स्वच्छता निरीक्षणों के अंतर्गत भी समाहित किया जाएगा।

प्रवर्तन अधिकारी अलग अलग तरीकों से निरीक्षण कर सकते हैं। इसके अंतर्गत निम्नांकित निरीक्षण पद्धतियाँ शामिल हैं:

- ऐसी स्थिति जहाँ अधिकारी परिसरों के भीतर निरीक्षण करने से पहले तत्संबंधी घोषणा करेंगे; अथवा
- अपेक्षाकृत गुप्त निगरानी, जिसमें अधिकारी पर्यवेक्षण द्वारा स्थिति का आकलन करेंगे, और निगरानी की अवधि के बाद अपना परिचय देंगे।

प्रत्येक स्थिति में अधिकारी टकराव–रहित नीति अपनाने का प्रयास करेंगे।

धूम्रपान–मुक्त नीति

नए कानून और उसके सभी निहितार्थों की जानकारी देने के लिए हम इस बात की जोरदार सिफ़ारिश करते हैं कि आप लिखित धूम्रपान निषेध नीति तैयार करें और उसे लागू करें, जिसमें निम्नांकित विशेषताएँ हों:

- जो समझने में सरल और संक्षिप्त हो।
- प्रबंधन समिति और स्टाफ के उन सदस्यों को इंगित करे, जो नीति के अनुपालन के लिए जिम्मेदार हों।
- जिसमें अनुपालन न होने की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख हो।
- जो धूम्रपान–मुक्त वातावरण में काम करने के कर्मचारियों के अधिकार को स्वीकार करे।
- जो धूम्रपान की लत छोड़ने में सहायता प्राप्त करने संबंधी जानकारी उपलब्ध कराएँ।
- जिसकी जानकारी स्टाफ के सभी सदस्यों – विशेष रूप से नए और अंशकालिक कर्मचारियों को नौकरी प्रारंभ करने से पहले दी जाये।

अगर नीति का उल्लंघन किया जाए, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए इस बारे में वैसी ही प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए, जैसी कि स्वास्थ्य और सुरक्षा–संबंधी अन्य मामलों के उल्लंघन में अपनाई जाती है। कार्य–स्थितियों में किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना कर्मचारियों को 12 सप्ताह पहले दी जानी चाहिए।

नीति में क्या शामिल किया जाये, इस बारे में आपको जानकारी देने के लिए पृष्ठ के दूसरी तरफ एक नमूना प्रति दी गयी है। नीति का एक रिक्त प्रारूप भी इस पैक के साथ संलग्न है। आप इसे भरकर अपने व्यापार या संगठन में इस्तेमाल कर सकते हैं।

स्कॉटलैंड का सेन्टर फॉर हेल्दी वर्किंग लाइव्स (Scottish Centre for Healthy Working Lives) [जिसमें स्कॉटलैंड का हेल्थ एट वर्क (Health at Work) संगठन भी शामिल है] भी आपको नीति विकसित करने में सहायता कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप 0800 019 2211 पर संपर्क कर सकते हैं अथवा वेबसाइट www.healthyworkinglives.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं।

धूम्रपान–रहित नीति

प्रयोजन

यह नीति सभी कर्मचारियों, सेवा प्रयोक्ताओं, ग्राहकों और आगन्तुकों को परोक्ष धूम्रपान से बचाने और धूम्रपान, स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल (स्कॉटलैंड) अधिनियम 2005 [Health and Social Care (Scotland) Act 2005] के अनुपालन में सहायता के लिए तैयार की गयी है।

सेकेंड–हैंड स्मोक, जिसे परोक्ष धूम्रपान भी कहा जाता है, से फेफड़े के कैंसर, हृदय रोग और अन्य बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। उत्सर्जित वायु की निकासी अथवा एक ही वायु क्षेत्र में धूम्रपान करने वालों और धूम्रपान न करने वालों को अलग अलग करने से भी संभावित जोखिम से पूर्ण बचाव संभव नहीं है।

नीति

यह [व्यापारिक प्रतिष्ठान का नाम लिखें] की नीति है कि हमारे सभी कार्य–स्थल धूम्रपान–रहित हों, और सभी कर्मचारियों को धूम्रपान–रहित वातावरण में काम करने का अधिकार मिले। यह नीति [तारीख] से प्रभावी होगी और [तारीख] को [नाम] द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी।

समूचे कार्यस्थल पर धूम्रपान बिना किसी अपवाद के वर्जित है। इसके अंतर्गत कंपनी के वाहन भी शामिल हैं। यह नीति सभी कर्मचारियों, परामर्शदाताओं, ठेकेदारों, ग्राहकों या सदस्यों और आगन्तुकों पर लागू होती है।

[अगर कुछ बाहरी क्षेत्र हों, जहाँ कर्मचारी और ग्राहक धूम्रपान कर सकें, तो वे कानून के अनुरूप होने चाहिए और उनका ब्यौरा यहाँ दिया जा सकता है।]

कार्यान्वयन

नीति के कार्यान्वयन और समीक्षा का समग्र दायित्व [नाम (प्रबंधक अथवा परिसर के नियंत्रक का नाम)] पर होगा। सभी कर्मचारी इसके अनुपालन के लिए बाध्य होंगे, और नीति के कार्यान्वयन में सहायता करेंगे।

उपर्लिखित व्यक्ति सभी मौजूदा कर्मचारियों, सलाहकारों और ठेकेदारों को नीति तथा उसके अनुपालन और निगरानी में उनकी भूमिका की जानकारी देगा। उसे सभी नए कार्मिकों को नियुक्ति प्रवेश–संबंध नीति की एक प्रति भी उपलब्ध करानी होगी।

'धूम्रपान निषेध' संबंधी समुचित चिह्न प्रवेश द्वारों और परिसर के भीतर प्रदर्शित किए जाएँगे।

उल्लंघन

इस नीति का अनुपालन न करने वाले स्टाफ के सदस्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। अगर कोई ग्राहक, आगन्तुक या यात्री इस नीति का अनुपालन न करे, तो पृष्ठ संख्या 12 पर दी गयी कार्रवाई की जानी चाहिए। धूम्रपान कानून का अनुपालन न करने वाले व्यक्तियों पर नियत जुर्माना किया जाएगा और संभावित आपराधिक अदालती कार्रवाई भी की जाएगी।

धूम्रपान रोकने में सहायता

धूम्रपान की लत छोड़ने के इच्छुक व्यक्तियों की सहायता की जाएगी। [यहाँ स्थानीय ब्योरा दें]

सहायता के स्रोत हैंः स्मोकलाइन 0800 848484, www.hebs.com/tobacco, आप के स्थानीय एनएचएस बोर्ड (NHS Board) का जन स्वास्थ्य विभाग, अथवा आपके स्थानीय जीपी (GP) सर्जरी। संपर्क फोन नंबर स्थानीय डायरेक्टरी से देखें जा सकते हैं।

परिशिष्ट 'क'

धूम्रपान स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल (स्कॉटलैंड) अधिनियम 2005
कुछ निश्चित परिसरों (स्कॉटलैंड) में धूम्रपान निषेध विनियम 2006

धूम्रपान स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल (स्कॉटलैंड) अधिनियम 2005 के भाग 1 में कुछ पूर्ण या व्यापक रूप से आच्छादित स्थानों पर धूम्रपान की मनाही का प्रावधान है। इसमें अधिनियम के लिए प्रासंगिक अपराध और अधिनियम के उल्लंघन के मामले में जुर्माना तय किया गया है, धूम्रपान निषेध नोटिस संबंधी अपेक्षाएँ निर्धारित की गयी हैं और कानून को लागू करने के लिए उपयुक्त परिषद के प्राधिकृत अधिकारियों को अधिकार प्रदान किए गए हैं।

इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए कुछ निश्चित परिसरों (स्कॉटलैंड) में धूम्रपान निषेध विनियम 2006 के अंतगर्त दिये गये प्रतिबंधों के माध्यम से 'धूम्रपान निषेध' परिसर और धूम्रपान की छूट वाले परिसर (या परिसरों के हिस्से) निर्धारित किए गए हैं। इन विनियमों में धूम्रपान निषेध के नोटिस प्रदर्शित करने के संबंध में भी प्रावधान किए गए हैं।

अधिनियम और विनियमों की प्रति वेबसाइट www.clearingtheairscotland.com, अथवा स्कॉटलैंड के तंबाकू नियंत्रण दल के कार्यकारी अधिकारी से संपर्क करके प्राप्त की जा सकती है। (संपर्क–संबंधी विवरण पीछे के कवर पर दिया गया है)।

व्यापारियों द्वारा बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके उत्तर भी वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। अगर आपका सवाल उनमें शामिल न हो, तो आप अधिक जानकारी के लिए उसे ई–मेल कर सकते हैं।

अधिनियम या विनियमों में तय की गयी कुछ अपेक्षित परिभाषाएँ नीचे दी गयी हैं:

'धूम्रपान निषेध परिसर' – ये ऐसे परिसर हैं, जो पूर्ण रूप से या व्यापक रूप में आच्छादित हैं, और जिनका ब्यौरा धूम्रपान विनियम की अनुसूची 1 (परिशिष्ट 'ख' के रूप में सूचीबद्ध) में दिया गया है। परन्तु अनुसूची 2 (परिशिष्ट 'ग' के रूप में सूचीबद्ध) में वर्णित स्थानों को इस परिभाषा से छूट दी गयी है।

विनियमों में 'धूम्रपान निषेध परिसर' के रूप में परिभाषित किए जा सकने वाले परिसरों के प्रकार अधिनियम के अंतर्गत उल्लिखित परिसरों की इन 4 श्रेणियों में से किसी एक तक सीमित हैं:

- ऐसे परिसर जिन तक जनता या जनता के किसी वर्ग की पहुँच हो;
- ऐसे परिसर जिनका इस्तेमाल पूर्ण या मुख्य रूप से कार्यस्थल के रूप में किया जा रहा हो;
- ऐसे परिसर जिनका इस्तेमाल किसी क्लब या अन्य अनिगमित संगठन द्वारा अथवा के लिए तत्संबंधी प्रयोजनों के लिए किया जा रहा हो; अथवा
- ऐसे परिसर जिनका इस्तेमाल पूर्ण या मुख्य रूप से शिक्षा अथवा स्वास्थ्य या देखभाल सेवाओं के लिए किया जा रहा हो।

'धूम्रपान' ('स्मोक') का अर्थ है तम्बाकू, कोई पदार्थ या मिश्रण जिसमें तम्बाकू शामिल हो, या कोई अन्य पदार्थ या मिश्रण धुएँ के रूप में पीना; और किसी व्यक्ति को धूम्रपान करता हुआ तब माना जाएगा जब उसने सुलगाकर पीया जाने वाला तम्बाकू, या सुलगाकर पीया जाने वाला कोई अन्य तम्बाकू मिला पदार्थ या मिश्रण या अथवा किसी रूप में, या पात्र में सुलगाकर पीया जाने वाला कोई पदार्थ या मिश्रण धारण कर रखा हो, अथवा वह सामग्री उसके स्वामित्व और नियंत्रण में हो।

अधिनियम की धारा 4 (2) के प्रयोजन के लिए:

(क) 'परिसर' में शामिल है –
- (i) कोई भवन या भवन का हिस्सा;
- (ii) कोई ढाँचा या ढाँचे का हिस्सा, चाहे चल हो या अन्यथा;
- (iii) स्थल अथवा जल में कोई संस्थापना;
- (iv) कोई तम्बू, शामियाना, या स्टॉल; और
- (v) कोई वाहन।

(ख) 'पूर्ण आच्छादित' का अर्थ है कि –
- (i) किसी वाहन या वाहन के हिस्से से इतर परिसर, जो किसी छत या सीलिंग से पूर्ण आच्छादित हो और दरवाजों, खिड़कियों और गलियारों के सिवाय पूरी तरह स्थायी या अस्थायी रूप से घिरा हो; अथवा
- (ii) किसी वाहन या वाहन के हिस्से का परिसर, जो किसी छत या शीर्ष से पूर्ण आच्छादित हो और दरवाजों, खिड़कियों और गलियारों के सिवाय स्थायी या अस्थायी रूप से पूरी तरह घिरा हो।

(ग) 'व्यापक रूप से आच्छादित' का अर्थ है कि –
- (i) किसी वाहन या वाहन के हिस्से से इतर और छत या सीलिंगयुक्त परिसर जो दरवाजों, खिड़कियों और गलियारों के सिवाय 'व्यापक रूप में आच्छादित' हो और स्थायी या अस्थायी रूप से घिरा हो; अथवा
- (ii) किसी वाहन या वाहन के हिस्से का परिसर, जो किसी छत या शीर्ष से 'व्यापक रूप में आच्छादित' हो और दरवाजों, खिड़कियों और निकास मार्ग के सिवाय स्थायी या अस्थायी रूप से पूरी तरह घिरा हो, और उसमें यह निर्धारित करने के लिए कि परिसर 'व्यापक रूप में आच्छादित' है या नहीं, दरवाजों, खिड़कियों, और अन्य ऐसी फिटिंग के रूप में खुली जगह की गणना नहीं की जाएगी, जिसे खोला और बंद किया जा सकता हो;

(घ) किसी परिसर को 'व्यापक रूप में धिरा' समझा जाएगा यदि –
- (i) परिसर में खुली जगह का क्षेत्रफल हो; अथवा
- (ii) यदि एक से अधिक खुली जगह हो, तो दोनों या सभी खुली जगहों का समग्र क्षेत्रफल दीवारों के क्षेत्रफल के आधे से कम हो, इनमें ऐसी कोई भी अन्य ढाँचा शामिल है, जो दीवार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और जो परिसर की परिधि का निर्माण करता हो।

(ङ) जिन मामलों में खुली जगह भीतर की ओर हो, अथवा उसमें ऐसी दीवारों या अन्य ढाँचों अथवा उनके किसी हिस्से का अभाव हो, तो ऐसी जगह की पैमाइश उपरोक्त पैराग्राफ (घ) के प्रयोजनों के लिए यह मानकर की जाएगी कि उसमें खुली जगह का क्षेत्रफल शामिल है; और

(च) 'की पहुँच हो' का अर्थ है, भुगतान या अन्य आधार पर, और अधिकार के रूप में अथवा व्यक्त या अंतर्निहित अनुमति के आधार पर पहुँच होना।

छूट से संबद्ध परिसरों (परिशिष्ट 'ग' देखें) के बारे में विनियमों में निम्नांकित परिभाषाएँ भी दी गयी हैं:

'निर्दिष्ट कक्ष' का अर्थ है ऐसा कक्ष –
- (क) जिसे किसी विचारणीय धूम्रपान निषेध परिसर का प्रबंधन या नियंत्रण हाथ में रखने वाले व्यक्ति द्वारा धूम्रपान की अनुमति वाले कक्ष के रूप में निर्दिष्ट किया गया हो;
- (ख) जिसकी छत हो और जो दीवारों तथा खिड़कियों के सिवाय चारों ओर से फर्श से लेकर छत तक ठोस दीवारों से घिरा हुआ हो;
- (ग) जिसमें वायु निकासी की ऐसी प्रणाली हो, जिससे धूम्रपान निषेध परिसर के किसी अन्य भाग में (अन्य निर्दिष्ट कक्षों के सिवाय) वायु निकासी न होती हो; और
- (घ) जिस पर स्पष्ट रूप में लिखा हो कि धूम्रपान की अनुमति है।

'निर्दिष्ट होटल बेडरूम' का अर्थ है, ऐसा शयन कक्ष जो –
- (क) विशेष रूप से यात्रियों के सोने के लिए निर्दिष्ट किया गया हो;
- (ख) जिसे किसी धूम्रपान निषेध परिसर का प्रबंधन या नियंत्रण करने वाले व्यक्ति द्वारा धूम्रपान की अनुमति वाले कक्ष के रूप में निर्दिष्ट किया गया हो;
- (ग) जिसमें सीलिंग छत हो और, जो दीवारों तथा खिड़कियों के सिवाय चारों ओर से फर्श से लेकर छत तक ठोस दीवारों से घिरा हुआ हो;
- (घ) जिसमें वायु निकासी की ऐसी प्रणाली हो, जिससे होटल के किसी अन्य भाग में (होटल के अन्य निर्दिष्ट बेडरूमों के सिवाय) वायु निकासी न होती हो; और
- (ङ) जिस पर स्पष्ट रूप में लिखा हो कि इस बेडरूम में धूम्रपान की अनुमति है।

परिशिष्ट 'ख'

'धूम्रपान निषेध परिसर' (विनियम की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध अनुसार)

धूम्रपान कानून के दायरे में आने वाले 'धूम्रपान निषेध परिसर' इस प्रकार हैं:

1. रेस्तराँ।
2. बार और पब्लिक हाउस।
3. दुकानें और शापिंग सेन्टर।
4. होटल।
5. पुस्तकालय, अभिलेखागार, संग्रहालय और दीर्घाएँ।
6. सिनेमाघर, कन्सर्ट हाल (संगीत गोष्ठी कक्ष), थियेटर, बिंगो हाल, खेल और मनोरंजन उद्यान, कैसिनो, नृत्य हाल, डिस्कोथे (जहाँ नृत्य के लिए रिकॉर्ड की सुविधा हो) और जन–समुदाय के सदस्यों के मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य परिसर।
7. प्रसारण स्टूडियो, या फिल्म स्टूडियो या सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए बनायी गयी किसी फिल्म या कार्यक्रम सेवा में उपयोग की दृष्टि से प्रदर्शित की जाने वाली किसी प्रस्तुति की रिकार्डिंग के लिए प्रयुक्त होने वाले परिसर।
8. सामाजिक या मनोरंजनात्मक प्रयोजनों के लिए जन सामान्य के सभागार के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले हाल और अन्य परिसर।
9. सम्मेलन केंद्र, सार्वजनिक हॉल और प्रदर्शनी हॉल।
10. सार्वजनिक शौचालय।
11. क्लब परिसर।
12. कार्यालय, फैक्टरी और अन्य गैर–आवासीय परिसर, जिनमें एक या अनेक व्यक्ति काम करते हों।
13. समुद्री संस्थापनाएँ
14. शैक्षिक संस्थान परिसर।
15. ऐसे परिसर जिनमें देखभाल सेवाएँ, संरक्षित आवास या सुरक्षित आवास सेवाएँ उपलब्ध करायी जाती हो, और ऐसे गैर–आवासीय परिसर जहाँ मुजरिम आवास सेवाएँ प्रदान की जाती हों।
16. अस्पताल, धर्मशालाएँ, मनोरोग चिकित्सालय, मनोचिकित्सक इकाइयाँ और स्वास्थ्य देखभाल परिसर।
17. शिशु सदन, डे नर्सरीज़, डे सेंटर और बच्चों या वयस्कों की दिन में देखभाल के लिए प्रयुक्त होने वाले अन्य परिसर।
18. सार्वजनिक पूजा, या धार्मिक शिक्षा, या किसी धार्मिक निकाय की सामाजिक अथवा मनोरंजनात्मक गतिविधियों के लिए, या के सिलसिले में इस्तेमाल किए जाने वाले परिसर।
19. (क्रीड़ा केन्द्र)।
20. हवाई अड्डा यात्री टर्मिनल या कोई भी अन्य सार्वजनिक परिवहन सुविधा स्थल।
21. सार्वजनिक परिवहन वाहन।
22. एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा काम के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले वाहन।
23. सार्वजनिक टेलीफोन किओस्क।

परिशिष्ट ’ग’

छूट (विनियम की अनुसूची 2 में सूचीबद्ध अनुसार)

कानून के अंतर्गत छूट प्रदान किए गए परिसर (या परिसरों के हिस्से) इस प्रकार हैं:

1. आवासीय भवन।
2. वयस्क देखभाल घरों में निर्दिष्ट कक्ष।
3. वयस्क धर्मशालाएँ।
4. मनोरोग चिकित्सालयों और मनोचिकित्सा इकाइयों में निर्दिष्ट कक्ष।
5. निर्दिष्ट होटल बेडरूम।
6. नजरबंदी या इंटरव्यू कक्ष, जो निर्दिष्ट कक्ष हों।
7. समुद्री संस्थापनाओं में निर्दिष्ट कक्ष।
8. निजी वाहन।

इस दस्तावेज के वैकल्पिक प्रारूप और सामुदायिक
भाषा संस्करण प्राप्त करने के लिए निम्नांकित
पते पर अनुरोध भेजे जा सकते हैं।

स्कॉटिश एग्ज़ीक्यूटिव हेल्थ डिपार्टमेंट (Scottish Executive Health Department),
Tobacco Control Division,
St Andrew's House,
Edinburgh EH1 3DG

टेलीफोनः 0131 244 5660
फैक्सः 0131 244 2606
वेबसाइटः www.clearingtheairscotland.com
ई–मेलः info@clearingtheairscotland.com

यह दस्तावेज मूल दस्तावेज का यथासंभव सटीक प्रतिनिधित्व करता है।
(Hindi)